न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 24 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. धनदान पुत्र देवीदान जाति चारण निवासी रतकुड़िया तहसील शिव जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर। 2.हिंगलाजदान पुत्र जुगतदान, 3.सगतीदान पुत्र मुरारदान 4.हुकमदान पुत्र बांकदान 5.भंवरदान पुत्र विरधदान 6.नारायणदान पुत्र जुगतदान 7.नारायणदान पुत्र सगतीदान 8.गिरधारीदान पुत्र सबलदान जातियान चारण निवासीयान रतकुड़िया तहसील शिव जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा पारित आदेश क्रमांक 2900 दिनांक 30.12.2016 को ग्राम रतकुड़िया के खेत खसरा संख्या 135/2017 में रास्ता कायम करने पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री भवानीसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवन सिंहल रेस्पोडेण्ट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांक:– 13.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रतकुड़िया से ग्राम ओला व ग्राम आंरग के लिये दो पृथक–पृथक रास्ते निकले है, ग्राम रतकुड़िया ओला मार्ग अपीलांट की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 135/2017 पश्चिमी माठ के सहारे व ग्राम रतकुड़िया से आंरग वाला मार्ग अपीलांट की उक्त खातेदारी खेत की दक्षिणी माठ पर होकर गुजरता है, ये दोनों मार्ग ग्राम ओला व ग्राम आंरग से प्रारम्भ होकर अपने नियत स्थान ग्राम रतकुड़िया की आबादी भूमि में निर्विघ्न रूप से पहुंच जाते है और यही आवागमन है जो प्रारम्भ से है। ग्राम रतकुड़िया के वासिदान जो निजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कारणों से अपीलांट से रंजिश रखते है ने अपीलांट के खेत खसरा संख्या 135/17 में होकर उपरोक्त दोनों सड़कों को मिलाते हुए नया रास्ता प्रस्तावित करते हुऐ, अधीनस्थ न्यायालय में नया रास्ता कायम करवाने हेतु तहसीलदार उतरदाता संख्या 01 से अनुशंषा कराते हुए अपीलांट के खातेदारी खेत के रकबा 00.08 बीघा में नया रास्ता कायम कर उसीा नवीन खसरा संख्या 236/135 खातेदारी रेकर्ड में कायम करा दिया तथा रेकर्ड खातेदारी में रास्ते का अंकन भी अपीलांट की जानकारी में बिना लाये कर दिया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 08 ने जरिये आवेदन अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 पक्षकार बनने का निवेदन किया जिसे स्वीकार कर प्रार्थीगणों को रेस्पोडेंट संख्या 02 से 08 के रूप में संयोजित किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा दिनांक 12.08.2019 को हो गया है जिससे इनके मध्य जो अपील पेश करते समय विवाद था वो खत्म हो गया है तथा लिखित में राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया है उस अनुसार न्यायालय आदेश पारित करता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं होगी।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 12.08.2019 को जो लिखित राजीनामा लोक अदालत की भवना से किया गया है उसके अनुसार न्यायालय विधि सम्मत निर्णय पारित करे जिससे रोजाना के लिए पक्षकारों के मध्य का विवाद खत्म हो जाये। लिखित राजीनामा राजीखुशी एवं अपनी मर्जी से किया गया है। राजीनामा अनुसार रास्ता प्रदान किया जावे।

राजकीय अभिभाषक को भी सुना गया। उन्होने भी सार्वजनिक रास्ते को राजीनामा के मुताबिक रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस एवं राजीनामा पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ता दिये जाने में अपीलांट को भी कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान में चालू रास्ता लगभग 18 फीट चौड़ा है जिसे उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामे के आधार पर निर्धारित किया जाना उचित रहेगा लिहाजा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ता का कुल रकबा 08 बिस्वा के स्थान पर केवल 05 बिस्वा (18'9" चौड़ाई) रास्ता सार्वजनिक कटाण रूप में दिया जाना युक्तिसंगत है। शेष चौड़ाई 11'3" अपीलांट के खेत की तरफ समान्तर रूप में कम की जावें।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील अपीलांट आंशिक रूप से मुताबिक लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश में विर्णत ग्राम रतकोड़िया तहसील शिव के एक रास्ते की 08 बिस्वा भूमि के स्थान पर 05 बिस्वा रकबा का सार्वजनिक कटाण रास्ता निर्धारित करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट की खातेदारी में ही अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पुख्ता करने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है।

13/8/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner